राष्ट्रीय सागर | झारखण्ड | रविवार | रांची, 09 नवंबर 2014

आधुनिक भारत के मंदिर से मिला विस्थापन का प्रसाद

जसिन्ता केरकेट्टा

झारखंड की राजधानी रांची में 1963 में भारतीय उद्योगों की मातृ संस्था हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन स्थापित हुई। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था लेकिन इस आधुनिक मंदिर के निर्माण में अपना सर्वस्व दे डालने वालों को विस्थापन और बेरोजगारी का ही प्रसाद मिला। संयुक्त बिहार राज्य में बिहार सरकार ने सात हजार पांच सौ एकड़ जमीन अधिगृहित कर केंद्र सरकार को दी। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विस्थापितों के भविष्य में जन्म लेने वाले बच्चे तक को नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन दो व्यक्तियों को नौकरी मिलने के बाद नौकरी देने का प्रावधान बंद कर दिया गया। विस्थापितों के अध्यक्ष जियारत हुसैन अंसारी कहते हैं कि 32 गांव इसकी स्थापना के वक्त विस्थापित हुए। 1957 से 1960 तक जमीन अधिग्रहण का कार्य चला। जिसके तहत रैयतों से प्रति डिसमिल 7 रूपये, 13 रूपये व अधिकतम 35 रूपये के हिसाब से मुआवजा देकर जमीन लिया गया। नियम के अनुसार जिस उद्देश्य से सरकार जमीन का अधिग्रहण करती है। उस उद्देश्य में भटकाव आने पर रैयतों को जमीन वापस की जानी चाहिए। साढे तीन हजार एकड़ पर एचईसी का प्लांट बना है। साढ़े चार हजार जमीन आज भी खाली पड़ी है लेकिन उसे रैयतों को वापस नहीं किया गया। संयुक्त बिहार से अलग होने के बाद झारखंड सरकार से भी रैयतों को जमीन वापस करने की मांग लगातार की जा रही लेकिन उन्होंने भी इस विषय पर अपने कान बंद कर रखे हैं। अधिग्रहित जमीन से ही उन्होंने फिर से प्रति 10 डिसमिल 300 रूपये में 30 डिसमिल जमीन खरीदी, आज तक उस जमीन की रशीद उन्हें नहीं दी गई है। अधिग्रहित जमीन को ही एचईसी ने विस्थापितों को दस-दस डिसमिल कर बेचा और जिस पर आज बस्ती बसी है। खरीदी जमीन का विस्थापितों को कोई रशीद न मिलने के कारण न तो वे जमीन बेच सकते हैं और न ही उन्हें कोई लोन मिल सकता है। जियारत का यह भी कहना है कि अधिगृहित जमीन को ही एचईसी ने 158 एकड़ जमीन तनख्वाह के बदले सीआईएसएफ को दिया है। ग्रामीणों से समझौता के तहत जमीनें ली गई लेकिन सीआईएसएफ को रजिस्ट्री कर जमीन दी गई।

अपनी जमीन से उखड़कर बन गए शरणार्थी : 32 विस्थापित गांव आज आठ गांवों में सिमटकर बसे हैं। जिनमें मुड़मा, जगन्नाथपुर, नयाटोली, आनी, कुटे, तिरिल, क़ानाटोली और लाबेद गांव शामिल है। यह क्षेत्र नयासराय कहलाता है। अपनी जमीन से उखड़ने के बाद वे एक षर्नार्थी की तरह जीवन जी रहे हैं। आज भी एचईसी को दी गई अपनी खाली पड़ी जमीन की वापसी के अंतहीन इंतजार में जी रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। विस्थापितों की एक ही मांग है कि रैयतों को खाली पड़ी जमीन वापस दी जाए। इसके लिए मुआवजा वापस करने को भी लोग तैयार हैं। ताकि वे फिर से खेती कर अपनी आजीविका चला सके। विस्थापितों का संघर्ष आज तक जारी है। पीढ़ी दर पीढ़ी इस संघर्ष में अपनी जवानी गला रही है। इससे स्पष्ट है कि अपनी जमीन से उखड़ने के बाद लोग किस तरह आत्मसत्मान और आत्मविष्वास खो देते है। एक बेहतर संस्कृति का पतन हो जाता है। जहां अनैतिकता जड़ें जमाने लगती हैं।

आजीविका के लिए बढ़ी अपराधिक घटनाएं: विस्थापितों के लिए संघर्ष करने वाले प्रेम प्रकाश साहदेव कहते हैं कि 13 गांवों के लोग पूर्ण रूप से विस्थापित हैं। जिनमें कुटे, मुड़मा, आनी, लाबेद, तिरिल, लटमा, सतरंजी, भुसुर, कल्याणपुर, न्यू धुर्वा, जगन्नाथपुर नचियातु शामिल है। यहां के अधिकांशतः विस्थापित लोगों ने लातेहार, चतरा, पलामू की ओर पलायन किया। 55 साल पहले क्षेत्र के लोगों का जीवन पूर्णतः कृषि पर आधारित था। आदिवासी, सदान, मुस्लिमों का एक साथ निवास था जो आज भी है। अपराधिक घटनाओं का नामोनिशान नहीं था। आज विस्थापित क्षेत्रों में नशा और अपराधिक घटनाएं बढ़ी है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है। एचईसी से समझौते के तहत पूर्व में सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के माध्यम से विस्थापित परिवारों के युवाओं को प्रशिक्षण मिलता था। जिसके बाद एचईसी में उन्हें काम मिलता था। आज सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बंद कर दिया गया है। इसको जगह चयन की प्रक्रिया के तहत एससी, एसटी, एससी, जेनरल वर्ग से बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, इसके कारण जरूरी नहीं कि उनमें विस्थापितों की बहाली हो ही। आजीविका के साधन के रूप में विस्थापित क्षेत्रों के शिक्षित युवा या तो पेंटर का काम या मजदूरी करते हैं। अधिकांश परिवार काम की तलाश में दिल्ली, पूना, राजस्थान, मुंबई की ओर पलायन करते हैं। युवाओं का अधिकांष वक्त शराब व जूआ में बीतता है। जिसके कारण अपराधिक घटनाएं बढ़ी है। विस्थापित इलाकों में से कुछ क्षेत्र तो आतंक का केंद्र बना हुआ है। छठ पूजा के दौरान भी खाने-पीने की सामग्रियों की लूट, चोरी और छिनतई की घटनाओं का जिक्र करते आम लोग नजर आए। विस्थापितों की संख्या चालिस-पचास हजार की है लेकिन हाई स्कूल, अस्पताल किसी तरह की सुविधा उन्हें नहीं मिली है।

नई पीढ़ी को बचाने की चिंता: पूर्ण रूप से विस्थापित लाबेद गांव का दृश्य विकास के नाम पर विस्थपित होने के बाद की कहानी कहती नजर आती है। यहां के लोग अधिकांशतः रेजा-कूली का काम करते हैं। नई पीढ़ी मजदूरी कर परिवार को आजीविका के लिए मदद करती है। गरीबी, अशिक्षा और अन्य मूलभूत समस्याओं के बीच लोग शराब के बीच अपनी समस्याएं भुलाने का प्रयत्न करते हैं। जिसके कारण अक्सर लड़ाई-झगड़े का माहौल बनता है। युवा पैसे कमाने के शॉर्टकट तरीके अपनाते हैं। जिसके कारण अपराधिक मामले आम बात हैं। युवाओं के पास कोई विकल्प नहीं है। महिलाएं आजीविका के लिए हड़िया-दारू बेचने का काम करती है। जिसके कारण नशाखारी पूरे गांव की सोचने-समझने की शक्ति निगल रही है। विस्थापित गांव नचिकेता-हड़सेर इलाके अपराधिक घटनाओं के कारण आतंक के केंद्र बने। इस क्षेत्र में चोरी, डैकेती, छिनतई की घटनाएं आम हो गई। लाबेद गांव की जल सहिया उषा का कहना है कि गांव से नशाखोरी खत्म होना बहुत जरूरी है। इससे आने वाली पूरी पीढ़ी बर्बाद हो रही है। छोटे बच्चों के भविष्य को लेकर जागरूक महिलाएं काफी परेशान हैं। देष व राज्य के विकास के नाम पर आधी जनता अपनी संस्कृति, विरासत, आजीविका के साधनों से ही वंचित हो जाता है और इसे विकास के दीया तले का अंधेरा समझकर हमेषा नजरअंदाज किया जाता रहा है।

सीएसडीएस द्वारा प्रदत इनक्लूसिव मीडिया यूएनडीपी फेलोशिप के तहत रिपोर्टिंग